

# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:- सकीया

विपक्षी:- हर्ष मेहता

किस्म मुकदमा:- वाद

पत्रावली संख्या:- 129/18

दिनाक:-04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया पत्रावली 2018 से प्रतिवादीगण की तामिल में ही है वादी को प्रतिवादीगण के तामिल प्रोसेज पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये बावजूद भी प्रोसेज पेश नहीं किये, वादी एवं उनके अधिवक्ता लम्बे समय से उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं न ही आज उपस्थित हुये न्यायालय द्वारा रूक-रूक कर तीन बार आवाज भी लगवाई गई बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है अपने वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः वादी का वाद तामिल के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा- उदयपुर

